



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.

भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited

A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No. 2020/HQ/Admin/RTI-667

New Delhi: 17.09.2020

Sh. Dheeraj Kumar
UP

Subject: Providing information w.r.t. Original Application received under the RTI Act.2005.

Reference: Your RTI application dated 04.09.2020 received through DOPT.

Information as obtained from the concerned record holding office is attached.

Hope the above information is complete and satisfactory. If not, then you can appeal within 30 days of receipt of the letter to the 1st Appellate Authority whose name and address is as under;

Ms. R. P. Chhibber
GM/Administration DFCCIL,
5th Floor, Supreme Court Metro Station Building,
Pragati Maidan, New Delhi-110001.


17.09.2020

(S.K. Roy)
Dy. G.M/Admn.(PIO)
E-mail: skroy@dfcc.co.in
011-23454707

DA: 02 sheets



डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(रेल मंत्रालय का उपक्रम)

DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED

(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)

TDL/EN/RTI/212 (A)

दिनांक:- 16.09.2020

Dy.GM/Admin/PIO


डी० एफ० सी० सी० आई० एल०

नई० दिल्ली,

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत श्री धीरज कुमार शर्मा पुत्र श्री सुभाष चन्द शर्मा निवासी- ग्राम सिथरौली, पोस्ट हाथरस जंक्शन, जनपद- हाथरस, के द्वारा मांगी गयी जानकारी के सम्बन्ध में ।

- सन्दर्भ:-**
- I आपके कार्यालय द्वारा प्राप्त पत्र संख्या 2020/HQ/ADMIN/RTI-667 दिनांक 07.09.2020 मुख्य महाप्रबन्धक कार्यालय में पत्र प्राप्ति दिनांक 07.09.2020.
 - II आपके कार्यालय द्वारा प्राप्त पत्र संख्या HQ/PG/TDL/1/2020 दिनांक 10.09.2020.
 - III इस कार्यालय के ई-मेल दिनांक 07.09.2020, 10.09.2020 एवं 15.09.2020.
 - IV सहायक परियोजना प्रबन्धक/विधुत के पत्र सं. TDL/EN/RTI/212(A) दिनांक 16.09.2020.

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र सं. I, के तहत श्री धीरज कुमार शर्मा पुत्र श्री सुभाष चन्द शर्मा निवासी- ग्राम सिथरौली, पोस्ट- हाथरस जंक्शन, जनपद- हाथरस, का पत्र प्राप्त हुआ इसकी जानकारी हेतु उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक/विधुत को सूचित किया गया । सन्दर्भित पत्र सं. IV, के तहत सहायक परियोजना प्रबन्धक/विधुत/टूडला द्वारा जो जानकारी प्राप्त हुई वह इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको भेजी जा रही है ।


(अरुण कुमार अदलखा)

(उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक/मानव संसाधन/टूडला)

संलग्नक:- 5 प्रप्ट.

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य महाप्रबन्धक/टूडला को सूचनार्थ हेतु प्रेषित ।
2. उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक/विधुत/टूडला को सूचनार्थ हेतु ।



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(रेल मंत्रालय का उपक्रम)

DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED

(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)

TDL/EN/RTI/212(A)

Dated 16.09.2020

✓ सेवा में,


उप मुख्य परियोजना प्रबंधक/विद्युत
डी०एफ०सी०सी०आई०एल०/टूण्डला।

विषय—जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत स्पष्ट एवं प्रमणित एवं पूर्ण सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बंध में।

सन्दर्भ—उपमहाप्रबंधक/एडमिन(पी०आई०)केपत्रसंख्या—2020/एच०क्यू०/एडमिन/आर०टी०
आई०—667 दिनांक 07.09.2020.

महोदय,

उपरोक्त के सन्दर्भ में आपको अवगत कराया जाता है कि पारेषण लाइन के राइट आफ़ वे (मार्ग अधिकार) के सन्दर्भ में प्रभावित किसानों को उसके फसलों की क्षति एवं प्रभावित भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु भारत सरकार द्वारा डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमि० परियोजना कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।


(डी०के०तिवारी)

सहायक परियोजना प्रबंधक/विद्युत
न्यू मकखनपुर/टूण्डला।